संख्या-5/2024/001-15-12-5-2023-12-5002-002-2-2021

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2024**

विषय:- राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-11 में स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष व्यय वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/738/वित्तीय स्वीकृति 2023-24, दिनांक 20.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू० 117.70 लाख के सापेक्ष तृतीय किस्त के रूप में धनराशि रू० 29.42 लाख (रूपये उन्तीस लाख बयालिस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उ0प्र0 को सूचित करेगें।

2- निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार धनराशि कोषागार से फेजिंग के आधार पर सुनिश्चित की जाये। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाए कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

7- अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

8- अनुमोदित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

9- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

10-यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।

11-जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

12-व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13-व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जाये। तथा जहां कही भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथा समय प्राप्त किया जायेगा और व्यय को धनराशि की सीमा तक ही सीमिति रखा जाये।

14-यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2021-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,42,000 (रुपये उन्तीस लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090400 रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1- 436 -X-2023-24, दिनांक- 24 जनवरी, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवीन्द्र प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-5/2024/001-15-12-5-2023-12-5002-002-2-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार,(सिविल/ आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

6- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्धक संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।

9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।